



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1948 (श10)
(सं० पटना 489) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मई 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

12 मई 2026

सं० 01/निगम-09-12/2025 परि०/3580—बिहार के प्रमुख शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना सं०-9204, दिनांक-06.12.2023 द्वारा पी०एम० ई-बस सेवा योजना लागू की गयी है।

इस योजनान्तर्गत कुल 400 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों में से 9 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसें प्रतिदिन 200 किलोमीटर परिचालन में 56.00 रु० प्रति किलोमीटर की दर से एवं 12 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर के परिचालन में 62.00 रु० प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु Cash Gap Subsidy के अंतर्गत 12 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 203.20 करोड़ रु० एवं केन्द्र सरकार द्वारा 671.60 करोड़ रु० सहित कुल 874.80 करोड़ रु० व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में निविदा के माध्यम से CESL (Convergence Energy Service Ltd) से प्राप्त नई संशोधित दर के अन्तर्गत 9 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों को प्रतिदिन 180 किलोमीटर परिचालन में 62.67 रु० प्रति किलोमीटर की दर से एवं 12 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए०सी० बसों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर के परिचालन में 74.38 रु० प्रति किलोमीटर की दर से Cash Gap Subsidy के गणना के उपरान्त भारत सरकार द्वारा 639.40 करोड़ रु० एवं राज्य सरकार द्वारा कुल 517.16 (पाँच सौ सतरह करोड़ सोलह लाख मात्र) रु० का व्यय संभावित है।

भारत सरकार द्वारा नई संशोधित दर के आधार पर 12 वर्षों के लिए Cash Gap Subsidy का केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी नहीं किये जाने की स्थिति में 400 ईलेक्ट्रिक ए0सी0 बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा Cash Gap Subsidy के रूप में स्वीकृत राशि 203.20 करोड़(दो सौ तीन करोड़ बीस लाख मात्र) रुपये में 313.96 (तीन सौ तेरह करोड़ छियानवे लाख मात्र) रुपये की अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर कुल पुनरीक्षित राशि 517.16 करोड़ (पाँच सौ सतरह करोड़ सोलह लाख मात्र) रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 489-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>